



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : fd62dd50d80c694e0eb8

Receipt Date : 21-Mar-2022 05:40:11 pm

Receipt Amount : 50/-

Amount In Words : Fifty Rupees Only

Document Type : Agreement or Memorandum of an
Agreement

District Name : Dhanbad

Stamp Duty Paid By : MANOJ

Purpose of stamp duty paid : MANOJ

First Party Name : OM PRAKASH SINGH

Second Party Name : MANOJ KUMAR

GRN Number : 2210408400

Ram Prasad Mahato
NOTARY
DHANBAD

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-

manoj kumar

2022/03/21



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899.

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।



20/08/2022

डेवलेपमन्ट एग्रीमेन्ट (विकास एकरारनामा)

यह डेवलेपमन्ट एग्रीमेन्ट (विकास एकरारनामा) आज दिनांक... 12.08.2022
को उभय पक्षों के बीच इस प्रकार सम्पन्न हुआ:-

प्रथम पक्ष (भूस्वामी) का नाम एवं पूरा पता:- श्री ओम प्रकाश सिंह, पिता
दुर्ग विजय सिंह, श्रेणी-सामान्य, पेशा-व्यवसाय, साकिम-बरटांड़, धनबाद,
पो. ० व थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, (झारखण्ड) भारतीय नागरिक जिन्हे
इसके आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। जो
शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को
छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, हितबद्ध उत्तराधिकारी
को शामिल करेंगे, जिन्हे इस एकरारनामे में आगे प्रथम पक्ष कहा गया है।




द्वितीय पक्ष का नाम एवं पूरा पता:- श्री कृष्ण कन्सट्रक्शन्स
प्रोपराईटरशीप फर्म कार्यालय श्री कृष्ण पैलेस, सुभाष नगर, सरायडेला,
(जिला-धनबाद द्वारा श्री मनोज कुमार, पिता श्री जगदीश सिंह,
श्रेणी-OBC कुर्मी, पेशा-व्यापार के माध्यम से सम्पादित किया जाता है
जिन्हे इसके आगे डेवलपर/भवन निर्माता/उन्नयनकर्ता/विकायक
इत्यादि के नाम से संबोधित किया गया जिसमें उनके कार्यालय के
अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित है, जो इसमें
द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित है, के बीच संपादित है।

सम्पत्ति का विवरण:- हकियत कायमी रैयती दखली बाके
मौजा-गोसाइडोह, थाना-गोबिन्दपुर, जिला-धनबाद, थाना नं-127 चौकी
सदर * रजिस्ट्री ऑफिस, धनबाद, फरद रैयती-103, वलिदयत जमाबंदी



नोटराम्पार्टमेंट

सं0-03, सुकनत नं0-068620117, खाता नं0-03 तथा 38, प्लॉट नं0-661
एवं 654 (अंश), रकवा-07 कट्ठा 9½ छटाक हाल सर्वे खाता सं0-106,
हाल सर्वे प्लॉट सं0-684 है जिसका चौहदी:-



Arrested
Ram Prasad Mahato
Notified
by Hand

Zahid Ali

उत्तर :- धनबाद-गोबिन्दपुर मुख्य सड़क,
दक्षिण :- प्लॉट सं0-661 का भाग,
पूरब :- प्लॉट सं0-661 का भाग,
पश्चिम:- निजी सड़क

तथा

प्रथम पक्ष ने केवाला दलील संख्या-9487 दिनांक 31/07/2009 को
श्रीमति अंची देवी अग्रवाल, पति सनवर लाल अग्रवाल के आम मोख्तारधारी
श्री अविनाश कुमार शर्मा पिता श्री चन्द्रिका प्रसाद शर्मा से खरीद की जो
धनबाद रजिस्ट्री ऑफिस के बुक नं0-01, भोल्यूम नं0-274, पेज नं0-489
से 508 में सन् 2009 में दर्ज किया गया है तथा प्रथम पक्ष के शान्तिपूर्ण
दखल-कब्जा में है।

विदित हो कि उक्त मौजा का हाल सर्वे सम्पन्न हो चुका है तथा पंजी-II
में प्रथम पक्ष से खाता सं0-106, प्लॉट सं0-684, रकवा-07 कट्ठा 9½
छटाक दर्ज है।

यह भी विदित हो कि, इस प्रकार प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पत्ति/भूमि पर
शान्तिपूर्ण दखल व कब्जा में रहते हुए उक्त सम्पत्ति/भूमि को बहुमंजिला
इमारत बनाने के लिये विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष के साथ डेवलपमेन्ट



प्रमाणित
२८/१०८

एग्रीमेन्ट विकास एकरारनामा करते हैं जो हर दृष्टिकोण से उचित एवं
न्यायसंगत हैं।

यह कि, प्रथम पक्ष उक्त सम्पत्ति को विकास करने हेतु जो पुरी तरीके से
सम्पत्ति विवरण (अ) है जो इस एकरारनामा का अंग है, तथा दर्शाया गया
है, उसी पर बहुमंजिला आवासीय/कॉम्प्लैक्स, वाहन पड़ाव इत्यादि के
लिये द्वितीय पक्ष जो एक विकासकर्ता है। उक्त जमीन को विकास करने
हेतु तथा बहुमंजिले इमारत बनाने हेतु आमंत्रित किया।

यह कि, उभय पक्षों ने इस एकरारनामा द्वारा निम्न वर्णित शर्तें जो आपस
में समझौता हुआ।

अब यह विकास एकरारनामा गवाहों के समक्ष दोनो पक्षों की बीच जो
समझौता हुआ वह निम्न प्रकार हैं:-

भाग:-1 (परिचय)

- प्रथम पक्ष का मतलब उसका उत्तराधिकारी कानूनी प्रतिनिधि एवं
वंशज इत्यादि।
- विकासकर्ता का अर्थ उनके उत्तराधिकारी अधिकृत प्रतिनिधि।
- उक्त जायदाद का मतलब उस सम्पत्ति से है जो मौजा—गोंसाईडीह,
मौजा नं०-127, खाता नं०-03, प्लॉट नं०-661, रकवा-07 कट्ठा,

खाता नं०-38, प्लॉट नं०-651, रकवा-9½ छटाक उक्त दोनो खाता
एवं दोनो प्लॉटों का कुल रकवा-07 कट्ठा 9½ छटाक, हाल खाता
नं०-106 हील सर्वे प्लॉट सं०-684, रकवा-07 कट्ठा 9½ छटाक

मौजा-गोंसाईडीह



2/2018/12/12

थाना—गोबिन्दपुर, अंचल—गोबिन्दपुर, जिला—धनबाद में अवस्थित है जो इस एकरारनामे के सम्पत्ति का विवरण तालिका में लाल रंग से दर्शाया गया है जो इस न्यायालय के एक हिस्से (अंश) हैं।

4. मकान का मतलब महमंजिले मकान/कॉम्प्लैक्स जो नीचे तल्ले से धनबाद माड़ा विकास प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नक्शा तक का उक्त जमीन पर निर्माण हो जो एकरारनामा के सम्पत्ति विवरण (अ) में दर्शाया गया है जो धनबाद नगर निगम/माड़ा, धनबाद द्वारा मंजूर नक्शा के अनुरूप होगा।
5. कॉम्प्लैक्स (बहुमंजिला भवन) का अर्थ बहुनिर्मित ऐरिया जिसमें बेडरूम, बाथरूम, किचन, बालकनी एवं बरामदा इत्यादित है।
6. पार्किंग स्थान का मतलब उस स्थान से है जो मोटर कार एवं स्कूटर इत्यादि रखने के लिये सुरक्षित होंगे।
7. यह कि, बिक्री योग्य जगह का मतलब वैसे जगह से है जो मकान के साथ-साथ आम उपयोग योग्य के लिये सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होंगे।
8. यह कि, जमीन मालिक के हिस्से का अर्थ माड़ा/नगर निगम, धनबाद द्वारा निर्मित नक्शा के अनुसार बहुमंजिले इमारत में बना हुआ 52 प्रतिशत जमीन मालिक का एवं 48 प्रतिशत विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) का होगा।



9. यह कि, जमीन मालिक (प्रथम पक्ष) अपने हिस्से के रूप में 52 प्रतिशत लेंगे एवं विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) बहुमंजिले इमारत के 48 प्रतिशत निर्माण यथा गाड़ी, पार्किंग व अन्य आम सुविधाएँ जो इस डेवलपमेन्ट के अधीन होगा का उपयोग करने से हैं।
10. यह कि, नवशा पास होने के बाद 03 वर्ष के अन्दर जमीन मालिक को पलौट (बहुमंजिले इमारत) पूर्णतः तौर पर सौंप देंगे। अगर भवन निर्माण उक्त अवधि में पूरा नहीं होता है तो प्रथम पक्ष समय और परिस्थिति को देखते हुए द्वितीय पक्ष को समयावधि में विस्तार करेंगे।
11. यह कि, हस्तांतरण का अर्थ स्वेच्छा से मालिकाना हक देना है एवं वैसे खरीदारों को जो बहुमंजिले इमारत के साथ गाड़ी पड़ाव योग्य जग हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार होगा।
12. यह कि, हस्तांतरण का अर्थ वैसे व्यक्ति, कम्पनी, व्यवित समूह से है जिनके नाम मकान हस्तांतरित किया जायेगा।
13. यह कि, पूर्ण-रूपेण बना हुआ जगह का अर्थ मकान का बना हुआ पूरा जगह बरामदा, सिंढ़ी का आम उपयोग से है।
14. यह कि, शब्द पुलिंग है वैसे ही स्त्रीलिंग बहुवचन या अन्य शब्द में प्रयोग होते हैं।



15. यह कि, जो शब्द पुलिंग—स्त्रीलिंग एवं उसी तरह स्त्रीलिंग शब्दों का भी प्रयोग होता रहेगा।

भाग-२

शुरुआत यह एकरारनामा जिस दिन बनेगा उसी समय से लागू माना जायेगा।

भाग-३

द्वितीय पक्ष/विकासकर्ता एवं प्रथम पक्षगण/जमीन मालिक के बीच जिन बिन्दुओं पर सहमति हुए वे निम्न प्रकार हैं:-

1. विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष आमंत्रण कर वैसे खरीददारों का चयन करेंगे जो मालिकाना हक के आधार पर मकान खरीदेंगे, जो सम्पत्ति विवरण सह तालिका-'ब' में दर्ज है। विकासकर्ता माडा/नगर निगम द्वारा स्वीकृत नक्सा के आधार पर प्लैट का निर्माण जिसमें भिन्न-भिन्न खरीददारों के हित/सुविधा यथा आम रास्ता का सामूहिक उपयोग का ख्याल रखा जाएगा।
2. यह कि, द्वितीय पक्ष/विकासकर्ता किसी भी इच्छुक खरीदार को मनोनित करेंगे जिसके साथ विकासकर्ता एक एकरारनामा के तहत सम्पत्ति हस्तांतरण करने के लिए राजी रहेंगे।
3. यह कि, विकासकर्ता प्रथम पक्ष के साथ मिलकर माडा/नगर निगम से नक्शा पास करवाने में आवश्यक कागजी प्रक्रिया, जरूरी कागजात तथा हस्ताक्षर प्रथम पक्ष करेंगे एवं उसे पास करवाने के लिए प्रथम पक्ष विकासकर्ता को मनोनित करंगे।



मालिकाना

4. यह कि, मालिकाना हक प्राप्त करने हेतु फ्लेटों को हस्तांतरणोपरान्त एवं गाड़ी पड़ाव (Parking) जो उस फ्लेट में उपलब्ध है विभिन्न खरीददार साथ-साथ उपयोग करते रहेंगे, जो इस एकरारनामा में दर्शाया गया है।
5. यह कि, मकान का मालिकाना हक एवं पड़ाव (Parking) आवंटन के उपरान्त सभी हितबद्ध अपने-अपने हिस्से का आम (Common) खर्च एवं अन्यान्य खर्च वहन करेंगे।
6. यह कि, बहुमंजिला इमारत में फ्लेटों के हस्तांतरण के बाद रख-रखाव (Maintanance) का सारा खर्च उक्त फ्लेटों के स्वामी/मालिक द्वारा उठायी जाएगी।
7. बहुमंजिला इमारत की उपरी छत के उपयोग का अधिकार उस बहुमंजिला इमारत के फ्लेट स्वामी/मालिकों का होगा।

भाग-4

1. यह कि, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को एतद द्वारा पूर्ण अधिकार देते हैं कि, द्वितीय पक्ष उक्त जमीन पर बहुमंजिले मकान का निर्माण करेंगे एवं वाणिज्य तौर पर उससे पूरा फीस विभिन्न इच्छुक खरीददारों के नाम एकरारनामा धनबाद नगर निगम/माडा, धनबाद द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्मित भवनों का हस्तांतरण द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाये।



2. यह कि, द्वितीय पक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वह धनबाद नगर निगम/माड़ा, धनबाद के नियमानुसार नक्शा में कुछ परिवर्तन कराकर यदि आवश्यकता हो जिसका खर्च स्वयं वहन करेंगे तथा साथ ही साथ आर्टिटकेट का फीस तथा अन्यान्य खर्चों का धनबाद नगर निगम/माड़ा, धनबाद द्वारा स्वीकृत नक्शों के एवज् में खर्च एवं भवन निर्माण के खर्च भी द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।
3. यह कि, द्वितीय पक्ष अन्य आवश्यक खर्च मान्यतानुसार स्वयं वहन करेंगे।
4. यह कि, एकरारनामे के बाद प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को तफसील—अ में वर्णित सम्पत्ति का निबंधित मुख्तारनामा कर देंगे।

भाग—5 विकासकर्ता का हिस्सा

उभय पक्ष समझौते के मुताबिक द्वितीय पक्ष निर्माणधीन बहुमंजिला इमारत जिसका सम्पत्ति का विवरण सिङ्घूल—‘अ’ में दिखाया गया है उसमें प्रथम पक्ष अपना हिस्सा के एवज में एकमुस्त नगद रूपया द्वितीय पक्ष से प्राप्त किये तथा सम्पूर्ण बहुमंजिले इमारत पर सिर्फ द्वितीय पक्ष को हस्तांतरण का हक अधिकार होगा।

अन्यान्य

यह कि, समझौता हुआ कि बहुमंजिले इमारत का हस्तांतरण के समय द्वितीय पक्ष अनेक बिक्री अभिलेख तैयार करेंगे जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति ~~सही होगी~~ और जब—जब हस्ताक्षर हेतु अभिलेख में जरूरत पड़ेगा तब—तब प्रथम पक्ष बिना किसी आना—कानी के उक्त अभिलेख में हस्ताक्षर

मैनुषी कुमार

३४
१११८
१११८



मुख्तारनामा

कर देंगे। प्रथम पक्ष एतद् द्वारा एकरार करते हैं कि किसी भी प्रकार के कार्य अभिलेख के सम्पादन में जरूरत पड़ेगा उसके निष्पादन के लिए सैदव तैयार रहेंगे और आगे भी किसी प्रकार की रुकावट व बाधा प्रथम पक्ष की ओर से उक्त बहुमंजिले इमारत के निर्माण व हस्तांतरण में असुविधा नहीं होने देंगे। प्रथम पक्ष एक निबंधित मुख्तारनामा द्वितीय पक्ष के नाम से कर देंगे अथवा उनके द्वारा नामित/नियुक्त प्रतिनिधि जिससे पक्ष द्वारा निर्माण संबंधी काम को बिना रुकावट के किया जा सकें। द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि उक्त सम्पत्ति विवरण—अ में बने बहुमंजिले इमारत में फ्लैट, गाड़ी पड़ाव, आम रास्ता आदि सभी का हस्तांतरण प्रथम पक्ष के बिना सहमति से करेंगे। द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वाणिज्यिक तौर पर इस बहुमंजिले इमारत के निर्माण में वित्तीय संस्था से कर्ज ले सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व आर्थिक या अन्यान्य भार प्रथम पक्ष पर लागू नहीं होगा। यह कि इस विकास एकरारनामा के अलावे कोई दूसरा व अन्य कोई बिक्री रेहन, लीज, आदि सम्पत्ति विवरण—अ के लेकर प्रथम पक्ष ने इसके पूर्व नहीं बनाया है।

1. यह कि, प्रथम पक्ष यह गारंटी देते हैं कि उनका जमीन जो इस प्रकार एकरारनामा से संबंधित है, सभी प्रकार के बाधाओं और खर्च एटेचमेंट दावा से मुक्त है। प्रथम पक्ष एवं उनके प्रतिनिधियों का उक्त जमीन पर पूर्ण अधिकार है। आम सुविधाओं एवं मनोरंजन का भी अधिकार है एवं जैसा कि द्वितीय पक्ष एवं उनके प्रतिनिधियों का है भर्ग (ब) कानूनी प्रक्रियाओं एतद् द्वारा दोनों पक्षों के बीच पूर्ण रूपैयी सहमति हुआ कि द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह



- मानविकी
- सभी प्रकार के कानूनी कार्य एवं कभी भी जमीन से संबंधित विवाद एवं अधिकार आदि का मुकदमा हो तो लड़ेंगे।
2. यह कि, एकरारनामा धनबाद न्यायालय के अन्तर्गत बनाया गया है जो इस न्यायालय के विशेषाधिकार के अन्तर्गत हैं।
 3. यह कि, प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार से उत्तरादायित्व नहीं ठहराये जा सकते हैं। जहां तक कि द्वितीय पक्ष बहुमंजिले इमारत के निर्माण के क्रम में एवं उसके आवंटन के क्रम में किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न न हो।
 4. यह कि, उक्त जमीन में किसी तरह का कोई अड़चन या विवाद होता है तो वैसी स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि विकास की जानेवाले जमीन को हर तरह से वाद विवाद, झगड़ा-झंझट से मुक्त होकर ही द्वितीय पक्ष को जमीन सौंपेंगे तथा इसमें किसी भी तरह की होने वाली स्वामित्व संबंधी खर्च की भरपाई प्रथम पक्ष करेंगे, इसमें द्वितीय पक्ष किसी तरह का अपने हिस्से में से कोई खर्च वहन नहीं करेंगे।
 5. यह कि, उक्त जमीन के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। कोई भी शूल्क या कर (Tax) इस एकरारनामा के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसके पूर्व का कोई डैम्प्स या शूल्क बकाया हो तो जमीन मालिक/प्रथम पक्ष उसका भुगतान करेंगे।
- (A) 1/1/2023
- 

- मुख्यमंत्री
6. यह कि, जमीन मालिक/प्रथम पक्ष उक्त जमीन के हस्तांतरण अंतरण के उद्देश्य से एकरारनामा हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में विकासकर्ता का हित एवं हिस्सा सुरक्षित रहेगा तथा जमीन मालिक प्रथम पक्ष बचनबद्ध है कि वे पूर्ववत् घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्रवाई नहीं करेंगे।
 7. यह कि, उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार पूर्व के या बाद के विवाद के कारण जमीन मालिक/प्रथम पक्ष के दखल-कब्जा में प्रभावित हो तो वैसी स्थिति में विकासकर्ता द्वारा इस विकास कार्य एकरारनामा के आधार पर किये गये खर्च सहित विकासकर्ता जमीन मालिक/प्रथम पक्ष के चल व अचल सम्पत्ति से वसूल करेंगे। इसमें जमीन मालिक/प्रथम पक्ष या उनके वारिसान का कोई उजुर और एतराज न है और न होगा।
 8. यह कि, अगर जमीन पर किसी प्रकार का हकियत के संबंध में कोई विवाद आता है और उसका समाधान निर्मित क्षेत्र से निकलता है तो जो भी निर्मित क्षेत्र देना होगा वह जमीन मालिक के हिस्से से जायेगा। अर्थात् कम पड़े क्षेत्रफल का समायोजन वर्तमान बाजार भाव के तहत प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा।

सम्पत्ति का विवरण - 'अ'

जमीन हकियत कायमी दखली मौजा-गौसांईडीह थाना नं-127
जिला-धनबाद में स्थित है:-

27/08/2024

खाता नं०-०३ एवं ३८, प्लॉट नं०-६६१ एवं ६५१ (अंश), हाल खाता नं०-१०६, हाल प्लॉट नं०-६८४, रकवा-०७ कट्ठा ९½ छटाक।

निर्माणाधीन महुमंजिले इमारत का पूर्णरूपेण बना हुआ क्षेत्रफल जो कि द्वितीय पक्ष द्वारा धनबाद नगर निगम/माडा द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप है, एवं आम गाड़ी पड़ाव जगह जो प्रथम पक्ष के इच्छानुसार बना हुआ है।

तालिका-ब'

1. नींव, कॉलम, बिम, स्पाई, कारिडॉर, लॉबिज, सिढ़ी का रास्ता, लैडिंग इन्ट्रेन्स एवं छत के तहत टेरेस जो कि आमतौर पर प्रथम पक्ष विकासकर्ता एवं फ्लैट मालिक संयुक्त रूप से उपयोग करेंगे। जिस पर किसी उपभोगकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी एवं जब कभी भी किसी प्रकार का मरम्मति, रख-रखाव या सार्वजनिक सुविधाओं के लिये सभी पक्षों का अधिकार रहेगा।
2. आम रास्ता, सीढ़ी रास्ता एवं आने-जाने के रास्ता सभी आम रहेंगे। सिर्फ कार पार्किंग जगह छोड़कर।
3. ट्यूबबेल, पानी या पम्प, पानी टंकी या पानी सुरक्षित रखने के जगह की नल पाईप एवं अन्यान्य आम सुविधाओं जो कि हेबी गेज के पाईप होंगे।
4. विजली वाइसिंग एवं संबंधित स्थिच इत्यादि (आई० एस० आई०) स्मार्टकॉम होगा।



में देखा गया।
1/2024

अधिकारी
1/2024

5. ड्रेनेज, सेमरेज एवं वर्षा का पानी के लिये पाईप लाईन रहेगा।
6. जेनरेटर सुविधाएँ उपलब्ध रहेगा जो क्रिलास्कर कंपनी का होगा।
7. एवं अन्य आम सामान फिक्सर्स, फिटिंग्स इत्यादि आम रूप से उपलब्ध रहेंगे। खासकर कार पार्किंग जगह के लिये।
9. बहुमंजिले इमारत का नाम श्री कृष्ण कॉम्प्लेक्स होगा।
10. बहुमंजिले इमारत में लिफ्ट की सुविधा रहेगी।

तालिका-द

फ्लैट का विस्तृत विवरण साथ ही सार्वजनिक स्थान जहां प्रथम पक्षगण एवं विकासकर्ता का अधिकार होगा।

1. फाउण्डेशन, आर० सी० सी० कॉलम एवं एन्टी टाईटटिटमेन्ट फाउण्डेशन एवं प्लीथ में आर० सी० सी० कॉलम, बिम, स्लौव 1:2:3
2. दिवाल जो फलाई ए ईंटा और साथ ही साथ सीमेन्ट कमरो में सिर्फ डोडो, स्कारटिंग वाले भाग छोड़कर दिवाल बालू कास्टिंग द्वारा रसूथिंग वेदर कोट के द्वारा किया जायेगा। बाथरूम का दिवाला पाँच फिट का होगा। जमीन से चारों तरफ डाढ़ों ग्लेज टाईल्स द्वारा होगा। मालिक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि लगाया जाने वाला किसी भी सामान को परिवर्तित कर सकें। इसके दरम्यान दाम में जो कमी-बढ़ी होता है तो उसे मालिक वहन करेंगे। दिवाल फिनिस



- रहेगा, सभी बाहरी दिवाल वाटर प्रूफ सीमेन्ट पेन्ट से रंगा रहेगा। सभी अंदर के दिवाल, सिलिंग दोनों वाल पुट्टी से फिनिस रहेगा।
3. जमीन सभी कमरों में, बालकनी में पैसेज, डायनिंग और ड्राईंग रूम में जमीनों में बेट्रिफाईउ टाइल्स (2×2) का होगा एवं पाँच इंच का स्काटिंग रहेगा। फ्लैट मालिक को यह अधिकार होगा कि अपने स्वेच्छानुसार अपने सामानों में परिवर्तन कर सकते हैं और दाम में अंतर होने पर स्वयं वहन करेंगे।
 4. चौखट साल सखुवा का पल्ला वाटर प्रूफ होगा एवं खिड़की एल्युमिनियम का होगा। खिड़की से बाहर या अंदर से लोहा का ग्रील रहेगा। बाथरूम सभी बाथरूम का प्लाटिंग सफेद सिरमिक टाइल्स जो सात फिट का होगा एवं डेडो सहित एवं कामोड़/एन० ए० सी० पैन्स बासबेसिंग रस्टैन्डर्ड क्वालिटी का होगा। बाथरूम में गरम एवं ठंडा पानी का पाईप क्वालिटी का होगा। (हेबी टाईप आई० एस० आई०) साथ मे रस्टैन्डर्ड क्वालिटी एवं डिजाइन चेन्ज एवं एडजौस्टिंग फैन्स के लिये जग दिये जायेंगे।
 5. किचन-किचन में पालिस किया हुआ हरा मार्बल टाप जो कुकिंग स्टील सिंक, कान्सिलड पाईप लाईन टप फिटिंग एवं स्विच जो कुकिंग सेट के निचे लगाये जायेंगे एवं कुकिंग टॉप के उपर 02 फीट 06 इंच में चाकिया हुआ ग्लेज टाइल्स डैडी के साथ विकासकर्ता द्वारा लगाये जायेंगे। विकासकर्ता चिन में एडजस्ट फैन लंगवाले के लिये अन्स का प्रयोग करेंगे। मालिक को यह अधिकार

होगा। उपर वर्णित सामानों को परिवर्तित कर सकते हैं मिन्तु दाम में अंतर को स्वयं बहन करेंगे।

6. इलेक्ट्रीकल वायरिंग, सभी कमरों, बालकनी रारता आवारीय फ्लैटों में छिपा हुआ होगा। इलेक्ट्रीकल कॉपर वायरिंग जो आई० एस० आई० द्वारा मान्यता प्राप्त होगा

यह एकरानामा आज दिनांक.....! 2.08.2022 को दोनों पक्षों ने अपने पूर्ण स्वस्थ मानसिक से सोच-समझकर उभय पक्षों के बीच सम्पन्न हुआ तथा गवाहों के समक्ष अपना-अपना हस्ताक्षर बना दिया ताकि समय पर काम आवें।

मैंने दस्तावेज का प्रारूप बनाया एवं दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया। प्रमाणित किया जाता है कि दोनों पक्षों का छायाचित्र दस्तावेज में लगा है एवं उनलोगों के बाँये हाथ के अंगुलियों के निशान गवाहगण के सामने लिये गये हैं।



गवाहों का हस्ताक्षर:-

1.

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

munikumar

2.

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

NOTARY
DHANBAD

Authorised
u/s 297 (i) (c) of the Cr. P.C. 1971
(Act No 11 of 1974) & u/s (8) (i)
of the Notaries Act 1952
(Act No 53 of 1952)

Identified by
Ranjit Kumar
Red Wale
12.8.2022